अति तत्काल

संख्या एन-22/2/2021-पी.एण्ड.सी.
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 17 मार्च, 2021

विषय: उपभोक्ता मामले विभाग के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल के लिए फरवरी, 2021 माह के मासिक सारांश – के सम्बन्ध में।

****

अधोहस्ताक्षरी को उपभोक्ता मामले विभाग के संबंध में **फरवरी, 2021** माह के लिए मंत्रिमंडल हेतु मासिक सारांश का अवर्गीकृत भाग इस पत्र के अनुलग्नक के रूप में संलग्न करने का निदेश हुआ है।

जसबीर तिवारी

(जसबीर तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष नं0 23381233

सेवा में,

प्रति संलग्नकों सहित, ई-मेल द्वारा निम्नलिखित को अग्रेषित :-

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य
2. पी.आई.बी./सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।
3. उप-राष्ट्रपति जी के सचिव।
4. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सचिव (सूची के अनुसार)।
6. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग,योजना भवन, नई दिल्ली।
8. निदेशक (एनआईसी) को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

उपभोक्ता मामले विभाग

फरवरी, 2021 माह का मासिक सारांश

फरवरी, 2021 माह के दौरान उपभोक्ता मामले विभाग के महत्वपूर्ण निर्णयों/गतिविधियों का सार

1. उपभोक्ता संरक्षण के लिए शुरू की गई गतिविधियां:

1.1 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 को दिनांक 20 जुलाई, 2020 को लागू किया गया था। इसके बाद, नए उपबंधों के अनुसार, उपभोक्ताओं को उनकी पसंद के किसी भी स्थान से नई उपभोक्ता शिकायत को ऑनलाइन दायर करने में सक्षम बनाने के लिए उपभोक्ता शिकायतों की ई-फाइलिंग हेतु एक वेब एप्लीकेशन नामतः "edaakhil.nic.in" विकसित की गई। ई-दाखिल (e-Daakhil) पोर्टल को एनसीडीआरसी और 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों [दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ (यूटी), अंडमान और निकोबार राज्य आयोग, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक और छत्तीसगढ़] में आरम्भ किया गया है; आज की तारीख के अनुसार, पूरे देश में ई-फाइलिंग सुविधा का उपयोग करते हुए कुल 2229 मामले दायर किए गए हैं।

2. भारतीय मानक ब्यूरो

2.1 फरवरी, 2021 माह के दौरान, 19 नए मानक तैयार किए गए और 38 मानकों को संशोधित किया गया है। इसके अलावा, नए मानक तैयार करने के लिए 24 प्रस्तावों और मौजूदा मानकों में संशोधन के लिए 17 प्रस्तावों पर कार्रवाई की गई थी। बीआईएस से स्मार्ट सिटी मानकीकरण कार्य-योजना पर फीडबैक प्राप्त करने के लिए हितधारक परामर्श कार्यशाला का आयोजन भी किया है। भाग लेने वालों में विभिन्न स्मार्ट सिटीज सिस्टम इंटीग्रेटर, मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर और संबंधित कंपनियां शामिल थी।

2.2 ऐसे विभाग/मंत्रालय जो सेवा-उन्मुख है, जैसे पर्यटन, रेलवे, शिक्षा आदि के साथ दिनांक 24 फरवरी, 2021 को "सेवा क्षेत्र मानकीकरण (सर्विस सेक्टर स्टैण्डर्डाइजेशन)" पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार में, बीआईएस ने सेवा मानकों के विकास के लिए उनके द्वारा की गई पहलों और प्रमुख विभागों की अग्र-सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता का उल्लेख किया।

2.3 खिलौना क्षेत्र को दिए गए महत्व के परिप्रेक्ष्य में, बीआईएस ने खिलौने पैक करने वाली यूनिटों को विनिर्माता यूनिटों के रूप में मानने और उन पर बीआईएस लाइसेंस प्रदान के लिए विचार करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, हॉलमार्किंग स्कीम के तहत, 854 नए ज्वैलरों को पंजीकृत किया गया और पांच एसेईंग एवं हॉलमार्किंग केंद्रों को मान्यता प्रदान की गई। बीआईएस ने हॉलमार्किंग एवं एसेईंग स्कीम के संबंध में पांच प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया।

3. मूल्य निगरानी केंद्र:

3.1 झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित पांच नए मूल्य निगरानी केंद्र नामतः गुमला, साहिबगंज, बोकारो, लोहारदगा और सिमडेगा को मूल्य निगरानी केंद्रों की सूची में जोड़ा गया है। दैनिक आधार पर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को रिपोर्ट करने वाले मूल्य निगरानी केंद्रों की कुल संख्या अब बढ़कर 135 हो गई है।

4. माह के दौरान आयोजित महत्वपूर्ण बैठक:

4.1 दिनांक 12.02.2021 को "आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की समीक्षा" के संबंध में सचिवों की समिति की एक बैठक आयोजित की गई।

4.2 नेफेड/एसएफएसी के निधि प्राप्य मुद्दों के संबंध में दिनांक 10.02.2021 और 23.02.2021 को दो बैठकें आयोजित की गई।

4.3 महानिदेशक, बीआईएस और सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के बीच एक बैठक आयोजित हुई जिसमें सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को स्मार्ट सिटी मानकीकरण गतिविधियों के बारे में अवगत कराया गया।

4.4 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की भागीदारी हेतु, भारतीय मानकों के कार्यान्वयन के लिए कार्यनीति विषय पर दिनांक 18 फरवरी, 2021 को बीआईएस द्वारा एक वेबिनार आयोजित की गई।